कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 152/ 2020 दिनांक: सितम्बर, 19/2020

प्रेस नोट

आज दिनांक 19.09.2020 को थाना कैण्ट में आयोजित समाधान दिवस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा जनता की समस्याओं को सुन कर उनके निस्तारण हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया। इसके उपरान्त थाना कैण्ट का निरीक्षण भी किया गया।

थाना कैण्ट के निरीक्षण के दौरान थाना कार्यालय में रखे अभिलेखो का रख रखाव देखा गया व अभिलेखो का अवलोकन कर अद्यावधिक न किये गये रजिस्टरों के संबंध में नाराजगी व्यक्त करते हुए प्र0नि0 कैण्ट से स्पष्टीकरण मांगा गया। थाना कैण्ट क्षेत्र में प्रकाश में भूमि विवादों की सूची तैयार कर विवादों के निस्तारण के सम्बन्ध में कार्ययोजना बनाने एवं विवादित स्थानों पर सतर्क दृष्टि रखने हेतु पूर्व में ही आदेशित किये जाने के उपरान्त भी प्रभारी निरीक्षक कैण्ट द्वारा उक्त कार्य में कोई रुचि न लिये जाने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा नाराजगी व्यक्त की गयी।

थाना कैण्ट क्षेत्र के भीड़-भाड़ वाले स्थानों, गलियों आदि में प्रभावी तरीके से गस्त करने एवं हाल के दिनों में हुई चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करने हेतु निर्देशित किया गया। ***चौकी प्रभारी नदेसर के कार्यो की समीक्षा के दौरान पायी गयी कमियों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए चौकी प्रभारी के विरुद्ध प्रारम्भिक जांच करने हेतु क्षेत्राधिकारी सदर को आदेशित किया गया।***

दिनांक 18.09.2020 को थाना लक्सा का निरीक्षण किया गया जिसमें प्र0नि0 लक्सा को आदेशित किया गया कि थाने के नये भवन के निर्माण/मरम्मत का विस्तृत प्रस्ताव प्रेषित करें।

निरीक्षण के दौरान थाना लक्सा के अभिलेखों का अवलोकन किया गया तो पाया गया की थाने के अभिलेखो में प्र0नि0 लक्सा के हस्तलेख की कोई भी प्रविष्टि अंकित नहीं है और न ही अधिकारियों द्वारा अंकित मासिक निरीक्षण का अनुपालन प्रभारी निरीक्षक द्वारा किया गया है। इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्हे चेतावनी दी गयी तथा अभिलेखों को तत्काल अद्यावधिक करने हेतु निर्देशित किया गया।

हाल के दिनों में थाना लक्सा क्षेत्र में हुई चेन स्नैचिंग की घटनाओं का सफल अनावरण करने हेतु प्र0नि0 लक्सा को निर्देशित किया गया। थाना लक्सा क्षेत्र में प्रकाश में आये भूमि विवादों की सूची तैयार कर विवादों के निस्तारण के सम्बन्ध में कार्ययोजना बनाकर विवादित स्थानों पर सतर्क दृष्टि रखने हेतु पूर्व में निर्देशित किया गया था किन्तु निरीक्षण के दौरान न तो विवादों की कोई सूची प्रस्तुत की गयी और न ही कोई कार्ययोजना बनायी गयी। ***प्रभारी निरीक्षक लक्सा द्वारा कार्यों में लापरवाही बरतने आदि के सम्बन्ध में प्रारम्भिक जांच हेतु पुलिस अधीक्षक प्रोटोकॉल को आदेशित किया गया।***

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 153/ 2020 दिनांक: सितम्बर, 19/2020

प्रेस नोट

थाना आदमपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 156/17 धारा 8 पाक्सो एक्ट से संबंधित अभियुक्त गुलजार पुत्र मो0 कबीर ग्राम के 48/102 कुतवन शहीद थाना कोतवाली वाराणसी को मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक 18.09.2020 को मा0न्या0 विशेष न्यायाधीश पाक्सो जनपद वाराणसी द्वारा धारा 8 पाक्सो एक्ट में लगाये गये आरोप में दोषसिद्ध करते हुए 03 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 154/ 2020 दिनांक: सितम्बर, 19/2020

प्रेस नोट

माफिया मुख्तार गैंग के सहयोगी मेराज अहमद के विरुद्ध थाना-जैतपुरा में आपराधिक कृत्यों व फर्जी तरीके से शस्त्र लाइसेंस नवीनीकरण के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत है। विवेचना के दौरान ज्ञात हुआ कि मेराज अहमद उपरोक्त का सगा भाई अब्दुल कलाम खॉ पुत्र जमालुद्दीन निवासी ई-35 अशोक विहार फेज-1 थाना-जैतपुरा वाराणसी द्वारा अपने नाम से क्रमश (1) .32 बोर रिवाल्बर, (2) डबल बैरल बन्दूक व (3) एनपीबी रायफल का शस्त्र लाइसेन्स प्राप्त कर लिया गया है। यह भी विदित हुआ है कि अब्दुल कलाम खॉ एक मनबढ व दबंग छवि का व्यक्ति है तथा इसके द्वारा अपने भाई मेराज अहमद के आपराधिक कृत्यों में परोक्ष रूप से सहयोग किया जाता है। शस्त्र धारक की प्रतिकूल छवि, शस्त्र के दुरूपयोग व शस्त्र से जन मानस में उत्पन्न हुए भय व आतंक के परिवेश से निवारण हेतु उपरोक्त सभी शस्त्रों के निरस्तीकरण हेतु आख्या आज दिनांकः 19.09.2020 को संस्तुति सहित जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी को प्रेषित की गयी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 155/ 2020 दिनांक: सितम्बर, 19/2020

प्रेस नोट

आज दिनांक 19-09-2020 को प्रभारी निरीक्षक कपसेठी मय हमराह पुलिस बल के थाना क्षेत्र मे भ्रमण कर रहे थे कि जरिए मुखबिर सूचना मिली कि एक व्यक्ति झोले में नाजायज गाँजा लेकर बेचने के लिए बरस्ता गाँव के गेट पर मौजूद है यदि शीघ्रता की जाये तो पकड़ा जा सकता है। मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना के आधार प्रभारी निरिक्षक कपसेठी मय हमराह पुलिस बल के ग्राम बरस्ता गेट पर पहुँचे कि एक व्यक्ति पुलिस बल को आता देखकर भागने लगा जिसे घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। तलाशी ली गयी तो उसके कब्जे से 03 किलो 200 ग्राम नाजायज गांजा बरामद हुआ। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना कपसेठी पर मु0अ0सं0 226/20 धारा 8/20 NDPS एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

हरिनाथ राम पुत्र रामुलार निवासी ओदरहा थाना कपसेठी वाराणसी उम्र 48 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

- 03 किलो 200 ग्राम नाजायज गांजा

पुलिस टीम का विवरण-

- श्री राजू दिवाकर प्रभारी निरीक्षक थाना कपसेठी, उ0नि0 श्री मनीष कुमार मिश्रा, का0 धनन्जय सिंह व का0 जितेन्द्र यादव, थाना कपसेठी जनपद वाराणसी

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 156/ 2020 दिनांक: सितम्बर, 19/2020

प्रेस नोट

आज दिनांक 19-09-2020 को थाना मण्डुवाडीह के उ0नि0 रामपूजन बिन्द मय हमराह पुलिस बल के देखभाल क्षेत्र/चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन में मौजूद थे कि जरिये मुखबिर सूचना मिली कि मु0अ0सं0-275/2020 धारा 308/336 भादवि0 से सम्बन्धित अभियुक्त बाढ़ू पुत्र वीरेन्द्र निवासी ग्राम छितौनी कोट थाना रोहनियां वाराणसी, अखरी हाईवे पुल के नीचे मौजूद है, यदि शीघ्रता की जाये तो पकड़ा जा सकता है। मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना पर विश्वास कर उ0नि0 द्वारा मय हमराह पुलिस बल के अखरी हाईवे पुल के पास पहुँचकर अभियुक्त बाढ़ू उपरोक्त को समय करीब 22.00 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना मण्डुवाडीह पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- बाढ़ू पुत्र वीरेन्द्र नि0 ग्राम छितौनी कोट थाना रोहनियाँ, वाराणसी उम्र 18 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 रामपूजन बिन्द, का0 गुलशन कुमार व का0 आशीष कुमार गुप्ता थाना मण्डुवाडीह वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 157/ 2020 दिनांक: सितम्बर, 19/2020

प्रेस नोट

आज दिनांक 19.09.2020 को थाना सारनाथ के उ0नि0 इन्द्रेश कुमार यादव मय हमराह पुलिस बल के देखभाल क्षेत्र चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान मु0अ0सं0 547/2020 धारा 452/354/504/506 भा0द0वि0 में वांछित अभियुक्त दीपक कुमार चौधरी पुत्र स्व0 बिहारी लाल चौधरी निवासी पुरानापुल पुलकोहना, थाना सारनाथ वाराणसी के घर दबिश देकर समय करीब 13.10 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना सारनाथ पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

***गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण- ***

1. दीपक कुमार चौधरी पुत्र स्व0 बिहारी लाल चौधरी निवासी पुरानापुल पुलकोहना, थाना सारनाथ वाराणसी उम्र करीब 19 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1 उ0नि0 इन्द्रेश कुमार यादव, का0 4452 देवेन्द्र कुमार यादव व का0 2811 राजेन्द्र कुमार यादव थाना सारनाथ वाराणसी

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 158/ 2020 दिनांक: सितम्बर, 19/2020

प्रेस नोट

आज दिनांक 19.09.2020 को थाना जैतपुरा के उ0नि0 दयाशंकर यादव द्वारा मय हमराह पुलिस बल के देखभाल क्षेत्र/चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान मखबिर की सूचना पर मु0अ0स0 168/20 धारा 379 भादवि में वांछित अभियुक्त निसार अहमद पुत्र गुलजार अहमद निवासी ए 35/ 45 बी-2 जलाली पुरा थाना जैतपुरा जिला वाराणसी को शैलपुत्री चौराहे पर चोरी की 01 अदद बैट्री के साथ पकड़ लिया गया। पूछताछ के दौरान उसकी निशादेही पर चोरी की 03 अन्य बैट्री व 01 अदद ई-रिक्शा का टायर शक्कर तालाब स्थित ईदगाह की झाड़ियों से बरामद किया गया। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना जैतपुरा पुलिस द्वारा अभियुक्त निसार अहमद उपरोक्त को समय करीब 10.20 बजे गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

निसार अहमद पुत्र गुलजार अहमद निवासी ए 35/ 45 बी-2 जलाली पुरा थाना जैतपुरा जिला वाराणसी।

बरामदगी का विवरण-

- चार अदद बैटरी KAYCEE नंबर 42807 ,427516 , 996515 व 996611 व 01 अदद ई-रिक्शा टायर BEDROCK 3.75-12।

पुलिस टीम का विवरण-

1. उ.नि. श्री दयाशंकर यादव, उ.नि. श्री मो. अकरम, का. विजेन्द्र सिंह व का. रितेश कुमार थाना जैतपुरा वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 159/ 2020 दिनांक: सितम्बर, 19/2020

प्रेस नोट

आज दिनांक 19.09.2020 को थानाध्यक्ष उ0नि0 अजीत कुमार सिंह द्वारा मय हमराह पुलिस बल के मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 329/2020 धारा 304,504 भा0द0वि0 में वांछित 01 नफर अभियुक्त धर्मेन्द्र बनवासी पुत्र सुबाष निवासी ग्राम अनेई थाना बड़ागाँव वाराणसी व 02 नफर अभियुक्ता को साधोगंज तिराहा से समय 13.20 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना बड़ागॉव पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

- धर्मेन्द्र बनवासी पुत्र सुबाष उम्र करीब 21 वर्ष निवासी ग्राम अनेई थाना बड़ागाँव वाराणसी।
- दो नफर अभियुक्ता

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- थानाध्यक्ष श्री अजीत कुमार सिंह, उ0नि0 श्री अमित कुमार सिंह, का0 सौरभ यादव, का0 सत्य प्रकाश सिंह, का0 गुलाब यादव व म0का0 सन्नो देवी, थाना - बड़ागांव, जनपद – वाराणसी

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 160/ 2020 दिनांक: सितम्बर, 19/2020

प्रेस नोट

जनपद वाराणसी में कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु जारी आदेशों के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक घूम रहे, गैर जरुरी तौर से होटल/गेस्ट हाऊस/दुकानें खुली रखने वाले संचालकों, कालाबाजारी करने वालों व राज्य सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन से सम्बन्धित नियमों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए आज दिनांक 19-09-2020 को विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए *कुल 32 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-151 सीआरपीसी* के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया गया तथा *146 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-188 चालानी रिपोर्ट व धारा-51आपदा प्रबन्ध अधिनियम* के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी। जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों, 14 बार्डर प्वाइंट व 49 पुलिस नाकों पर सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए *कुल 2279 वाहनों का चालान, 26 वाहनों को सीज तथा 421 वाहनों से रु0-3,27,200/- समन शुल्क वसूल* किया गया।

जनपद वाराणसी में कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु जारी आदेशों के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक घूम रहे, व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के आदेशानुसार आज दिनांक 19-09-2020 को जनपद वाराणसी राज्य सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन से सम्बन्धित नियमों का उल्लंघन करने वाले तथा बिना मास्क पहने घूम रहे व्यक्तियों के विरूद्ध अभियान चलाकर बिना मास्क धारण किये *कुल 1373 व्यक्तियों से रु0-1,02,900/- जुर्माना* जमा कराया गया।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।